पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/874/20012-.....884..../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक : श्री विपिन बिहारी मिश्र
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता(यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक-.....7/12...../2015.

विषय : निविदा निस्तार प्रक्रिया हेतु दिशा-निदेश से संबंधित पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं0-प्र0-7/नियम-01/2015-5931(S), पटना, दिनांक 01.07.2015 संसूचित करने के संबंध में ।

प्रसंग : पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक- प्र0-7/नियम-01/2015-5931(S), पटना, दिनांक 01.07.2015

महाशय,

उपरोक्त विषयक पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक- प्र0-7/नियम-01/2015-5931(S), पटना, दिनांक 01.07.2015 द्वारा निर्गत संलग्न संकल्प को नियमत: अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन.

(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः— राज्य के सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र अभिशंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के अधीन वैसे कार्यों, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) या उससे कम है, से संबंधित अंचल स्तर पर वर्षवार कुल कार्यों का 50 प्रतिशत कार्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के संवेदकों के लिए आरक्षित करते हुए उक्त कोटि के अन्तर्गत ही प्राप्त निविदा के माध्यम से कार्यों को आवंटित करने के संबंध में।

1. भारत के संविधान के भाग–4, धारा–38 में निम्न प्रावधान है :–

भाग 4 – राज्य की नीति के निदेशक तत्व

1 1 (38) राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा–

(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

2. प्रत्येक क्षेत्र में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व एवं अवसर प्रदान कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति एवं प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर विभिन्न लोक कार्यों (Civil work) के लिए कार्य आवंटन हेतु उपबंधित प्रक्रियाओं के कारण सभी वर्गों की उचित भागीदारी नहीं हो पा रही है।

3. उक्त कंडिका–2 के आलोक में कंडिका–1 में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अभिवंचित समूहों को निविदा के माध्यम से लोक कार्यों के सम्पादन हेतु सुनिश्चित अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। लोक निर्माण कार्यों में रू० 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) की निविदा स्थानीय प्रचार–प्रसार के माध्यम से करने का प्रावधान विभागीय ज्ञापांक–5676 (5) दिनांक 24.06.2015 द्वारा निर्गत संकल्प के माध्यम से किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग के पत्रांक

ए–2 एम–1–88/75 लो०नि०–25595 दिनांक–31.12.75 द्वारा निर्गत राज्यादेश एवं अनुवर्ती तत्सम्बन्धी आदेशों के माध्यम से समुह विशेष के लिए सीमित राशि की निविदा का निर्धारित प्रतिशत उक्त समुह के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया जाता रहा है।

4. अतः उपरोक्त कंडिका में निहित सिद्धांतों के आलोक में निर्णय लिया जाता है कि राज्य के सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के अधीन क्रियान्वित होने वाले लोक निर्माण कार्यों जिसकी प्राक्कलित राशि 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) अथवा उससे कम है का कार्य निम्नवत आरक्षित रहेगा :–

(i)	अनुसूचित जाति	–	16%
(ii)	अनुसूचित जनजाति	–	01%
(iii)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	18%
(iv)	पिछड़ा वर्ग	–	12%
(v)	पिछड़े वर्ग की महिला	–	03%
		कुल –	50%

शेष 50% कार्य सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा।

5. अन्य शर्तें निम्नवत होगें :–

5.1 अंचल का प्रशासनिक स्तर कंडिका–5 के प्रावधान के कार्यान्वन का स्तर रहेगा।

5.2 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम–2002– (बिहार अधिनियम–17/2002) के आलोक में सभी सरकारी तथा सभी अर्द्ध सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–458 दिनांक 30.09.2002 द्वारा आदर्श रोस्टर की व्यवस्था लागू की गई है। इसी के अनुरूप संबंधित अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में रोस्टर पंजी संधारित किया जायेगा तथा उनके अधीनस्थ कार्य प्रमंडलों के कार्यों को क्रमवार वर्ग विशेष के लिए आरक्षित करने का आदेश निर्गत किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले वित्तीय वर्ष में भी आदर्श रोस्टर का बिन्दु लगातार क्रमवार जारी रहेगा।

5.3 किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित कार्यों में एक से अधिक संवेदक का दर न्यूनतम एवं समान रहने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग की कंडिका 163 के अधीन draw of lots के अनुसार निविदा का निष्पादन होगा।

5.4 निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण होना आवश्यक होगा।

5.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्यों की अधिकतम सीमा रू० 25.00 लाख (पचीस लाख) होगी। इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित प्रावधान के आधार पर अबतक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की सूचना देना अनिवार्य होगा।

5.6 सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हें हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

5.7 निविदा की अन्य शर्तें यथा प्रावधानित लागू मानी जाएँगी।

6. उक्त कंडिका–4, 5 एवं संबंधित अन्य उपकंडिकाओं में निरूपित प्रावधान में परिलक्षित त्रुटि या कठिनाई का परिमार्जन करने तथा उपबंध के अनुरूप कार्यान्वयन संबंधित दिशा निदेश निर्गत करने हेतु पथ निर्माण विभाग प्राधिकृत होगा।

1.7.2015

(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक प्र0 7/नियम–01/2015 - 5931(S) पटना, दिनांक – 1.7.15

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

1.7.2015

(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक प्र0 7/नियम–01/2015 5931(S) पटना, दिनांक – 1.7.15

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.7.2015

(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0 7/नियम-01/2015 5931(S) पटना, दिनांक - 1.7.15

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/सभी विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव(प्रा0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/पथ निर्माण विभाग स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.7.2015

(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।